जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली की बकाया राशि वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश

जयपुर, 12 अक्टूबर। प्रदेश में स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए सभी वृतों में अधिशाषी अभियन्ता–पवस को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि बकाया वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाकर बकायादारों के खिलाफ ईयूडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सके।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल मीणा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से विद्युत वितरण निगमों के सभी वृतों के अधिकारियों से पीडीसी कन्ज्यूमरों में 534 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए प्रत्येक वृत में अधिशाषी अभियन्ता– पवस को तुरन्त प्रभाव से नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही सभी कनिष्ठ अभियन्तओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे एक माह में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे परिसरों में यदि अवैद्य कनेक्शन पाएं जाए तो उनके खिलाफ तुरन्त मुकदमा दर्ज कराया जावे।

श्री मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बकायादारों में 50 हजार रुपए से अधिक की राशि बकाया है तथा उन्होंने नोटिस देने के बाद भी बकाया राशि जमा नही कराई है तो ऐसे उपभोक्तओं के नाम सार्वजनिक किए जाकर उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जावे।

वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि 5 लाख 29 हजार सिंगल फेज के एवं 55 हजार थ्री फेज के खराब मीटर बदले गए है।

ऊर्जा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि बाकी रहे खराब मीटरों को आगामी दो माह में विशेष अभियान चलाकर बदला जाना सुनिश्चित करें एवं बदले गए मीटरों की वास्तविक रीडिंग एचएचटी मशीन द्वारा लेकर उनके बिल जारी करने की कार्यवाही की जावे।

श्री गंगवार ने 15 अक्टूबर से रबी की फसल के लिए किसानो को दिन एवं रात के चार ब्लॉक में 6 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के साथ ही किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक सामान की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के निर्देश भी सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को दिए।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 357/2012